

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग  
“कचनार” पर्यावरण परिसर  
ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.

दिनांक 27.12.2013 को आमंत्रित निविदा “प्लानिंग एरिया का डिजिटल मेप लेण्ड युज सहित” की प्रिबिड कांफ्रेंस का कार्यवाही विवरण

दिनांक 16.12.2013 को निम्न अधिकारियों एवं सलाहकारों की उपस्थिति में प्रिबिड कांफ्रेंस की गयी :-


- (1) श्री बी.एन.त्रिपाठी, संचालक (समन्वय), स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग, भोपाल।
- (2) श्री व्ही.पी.कुलश्रेष्ठ, संयुक्त संचालक, जिला कार्यालय, भोपाल
- (3) श्री सुरेन्द्र मिश्रा, सहायक यंत्री, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग, भोपाल।
- (4) श्री सुनील मुरमकर, उपयंत्री, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग, भोपाल।
- (5) श्री अजित माली, अर्बन प्लानर, मेहता एण्ड एसोसिएट्स, इंदौर।
- (6) श्री पीयूष कुमार गोयल, आकार कंसलटेंट्स, कोटा।
- (7) श्री के.भास्कर, एडोप्टो इन्फरमेटीक्स, हैदराबाद।
- (8) श्री एम.पी.यादव, डायरेक्टर, टोपोग्राफी सोल्युशन, भोपाल।

उपस्थित सलाहकारों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर निम्नानुसार जानकारी दी गयी :-

- (1) भू-उपयोग मानचित्र ( Landuse Map ) को जियोरिफरेंस WGS 84 में करना है।
- (2) सेटेलाईट इमेज प्रदाय नहीं की जावेगी। गूगल इमेज अथवा जो उपलब्ध हो से अपने विवेक अनुसार जियोरिफरेंस कर सकते हैं।
- (3) खसरे के सभी विवरण जैसे भू-उपयोग, नदी-नाला, सड़क इत्यादि एट्रीब्यूट ( Attributes ) में लिये जावेंगे।
- (4) पेनल पर भू-उपयोग मानचित्र 1:4000 के स्केल में है।

ई-मेल से साई कंसलटेंसी द्वारा उल्लेखित बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

- (1) इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर नगरों के प्लानिंग एरिया का (मोजाईक एवं जियोरिफेंस कर) खसरा मेप का सिटॉप कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।
- (2) खसरा मेप में मोजाईक अथवा जियोरिफेंस में यदि कोई त्रुटियाँ हैं तो उन्हें वेंडर को दूर करना होगा।
- (3) वेंडर के भू-उपयोग मानचित्र 1 वर्ष तक किसी खसरा नम्बर में यदि भू-उपयोग में संशोधन किया जाता है तो उसे अद्यतन करना होगा।
- (4) मोबलाईजेशन एडवांस (देय फीस का 10 प्रतिशत) का प्रावधान मान्य योग्य नहीं है।

  
(व्ही.पी.कुलश्रेष्ठ)

संयुक्त संचालक  
जिला कार्यालय  
नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल

  
( बी.एन.त्रिपाठी )

संचालक (समन्वय)  
स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग,  
भोपाल.